-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कालिंजर पुलिस द्वारा सूचना के 24 घण्टे के भीतर भैस चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की गई भैंस व पड़वा तथा घटना में प्रयुक्त लोडिंग वाहन बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 09.09.2026 को थाना कालिंजर पुलिस द्वारा भैस चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही से 01 भैंस, 01 पड़वा एवं घटना में प्रयुक्त 01 लोडिंग वाहन बरामद किया गया है। गौरतलब है कि थाना कालिंजर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुढ़ाकला निवासी लालबाबू द्वारा थाना कालिंजर पर प्रार्थना पत्र देकर सूचना दी गई थी कि दिनांक 13.08.2026 की देर रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा उनकी भैंस चोरी कर ली गई है। सूचना के आधार पर थाना कालिंजर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा लगातार सुरागरसी-पतारसी करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर बसराही तिराहे के पास से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की गई भैंस एवं पड़वा तथा घटना में प्रयुक्त लोडिंग वाहन बरामद किया गया।

बरामदगी-

1. 01 भैंस
2. 01 पडवा
3. 01 लोडिंग (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. महेन्द्र पुत्र रामबोल निवासी ग्राम टेढी कबरी थाना सरवई जनपद छतरपुर (म0प्र0)।
2. आशीष पुत्र साकेत बिहारी निवासी ग्राम टेढी कबरी थाना सरवई जनपद छतरपुर (म0प्र0)।
3. निशान्त पुत्र सुरेश निवासी बसराही थाना कालिंजर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0- 121/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कालिंजर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्रा दारा सिंह थानाध्यक्ष कालिंजर जनपद बांदा
2. उ0नि0 श्री प्रवेश कुमार मिश्र
3. कां0 आशीष कुमार
4. कां0 राहुल
5. कां0 अजयपाल
6. कां0 सूरज कुमार